

पत्र संख्या-वैट-(08-09)-विज्ञप्ति-

354 / वाणिज्य कर ।
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)
लखनऊ // दिनांक // 3 जुलाई, 2008

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता तथा वहां स्थापित इकाईयों को कमिशनर, वाणिज्य कर, द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत " आपरेशनस " हेतु बेचे गये माल के आवर्त पर दिनांक 01 जनवरी, 2008 से कर उद्ग्रहीत या भुगतान न करने के संबंध में शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या- क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008, दि0 30-6-08 जारी की गयी है ।

उपरोक्त विज्ञप्ति में छूट प्रदान करने के लिए कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । विज्ञप्ति के प्राविधानों का क्रियान्वयन करने के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप "फार्म-डी" निर्धारित किया जाता है । यह फार्म-डी मुख्यालय के परिपत्र सं0-वैट-फार्म-डी-रख रखाव प्रक्रिया/2007-08 / 511 / वाणिज्य कर, दि0 14-01-08 द्वारा निर्धारित किया गया था जिसे परिपत्र सं0-680, दि0 13-3-08 द्वारा संशोधित किया गया है । डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अन्दर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता, स्थापित इकाईयों को खरीद हेतु प्रारूप फार्म-डी का रख-रखाव व प्रयोग मुख्यालय के उपरोक्त परिपत्रों में निहित निर्देशानुसार किया जायेगा । फार्म डी में जहाँ " यू0पी0वैट अध्यादेश, 2007 शिड्यूल-IV के क्रमांक-6(a), 9(a), 10(a), 11(a) लिखा है " के स्थान पर विज्ञप्ति सं0- क0नि0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008, दि0 30-6-08 तथा " कर योग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के लिए प्रमाण पत्र " के स्थान पर विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकास कर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत आपरेशनस हेतु खरीद के लिए प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न) लिखा जायेगा ।

उपरोक्त संशोधन के साथ प्रचलित फार्म डी का प्रयोग किया जायेगा तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म डी पर ईई सीरीज के टिकट लगाकर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे ।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र की प्रतियाँ पर्याप्त मात्रा में करवा कर अपने अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों/व्यापारिक संघों/अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराने तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

(दीपक कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक -- उक्त ।

प्रतिलिपि -- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. श्री एस0सी0द्विवेदी/श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि०अनु०शा०)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म्स) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्भाग में पर्याप्त मात्रा में ई०ई०सिरीज के टिकट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
10. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
11. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियां।
12. वैट अनुभाग को 50 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
13. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
14. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(दीपक कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विवरण की गयी खरीद की सूची

क्र०सं०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	दिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वस्तु ले गये कर की गति	इनवाइस की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	नाम	कोड	मात्रा / माप	6	7	8
1										
2										
3										
4										
5										

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

करनिर्धारण अधिकारी
द्वारा प्रमाणीकरण
हस्ताक्षर, नाम व
मुहर सहित

[क0नित0-2-2027/ग्यारह-9(15)/08-30प्र0अधित0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008]

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत
आपरेशन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति - विक्रेता व्यापारी के लिए)

क्रम संख्या-----

बुक संख्या-----

बुक संख्या																					
1-	क्रेता का नाम व पता																			प्रभावी तिथि	
2-	टिन																				
3-	करनिर्धारण वर्ष																				
4-	माह का अंतिम दिनांक																				
5-	विक्रेता का नाम व पता																			प्रभावी तिथि	
6-	टिन																				

खरीद का विवरण

क्र०स०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

घोषणा

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी प्रस्थिति
 के अनुसार पूर्ण व सही है।

मैं _____ पुत्र / पुत्रा / पत्नी _____
 एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

स्थान -

तिथि -

मूहर

नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग की प्रक्रिया

- नोट - फार्म के रखरखाव / प्रयोग का प्रारम्भ
1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा ।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 00001 से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा ।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपण) में रखा जाएगा ।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा ।
5. प्रतिपण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा ।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी ।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी ।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा ।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म डी की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात फार्म डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे । व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे ।
11. एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्ड्राज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा ₹ 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम / कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी ।
12. फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख 30प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विवरण की गयी खरीद की सूची

क्र.सं.	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	दिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूल गये कर की राशि	इनवाइस की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	नाम	कोड	मात्रा / माप	6	7	8
1										
2										
3										
4										
5										

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर तिथि

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में स्थापित इकाई तथा विकासकर्ता या सह विकासकर्ता को विकास आयुक्त द्वारा अधिकृत
आपरेणन्स हेतु खरीद के लिये प्रमाण पत्र

(प्रतिपण - क्रेता व्यापारी के लिए)

क्रम संख्या-----

[illegible]

क्र०सं०	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप / मात्रा	सेल / टैक्स इनवाइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

Total in words	
Total in figure	

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी प्रास्थिति

एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएं मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम

1. फार्म-डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बार्गण्डेड बुक में रखा जाएगा ।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 0000। से प्रारंभ होकर क्रमागत रहेगा ।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा ।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय जारी किया जाएगा ।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा ।
6. मूल प्रति कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी ।
8. फार्म व्यापारी स्वयं ही ए-4 साईज में प्रिन्ट करवाएगा और एक बुकलेट पचास फार्म की होगी ।
9. फार्म डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा ।
10. प्रयुक्त फार्म डी का विवरण निर्धारित प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को फार्म डी की अगले बुकलेटों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के पूर्व प्रस्तुत करेगा । तत्पश्चात फार्म डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगायेंगे । व्यापारी द्वारा रखे गये उक्त विवरण की व्यापारी की प्रति पर भी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए हस्ताक्षर करेंगे ।
11. एक फार्म डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इन्द्वाज किया जा सकता है जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा ₹0 10 लाख होगी परन्तु 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम / कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी ।
12. फार्म डी पर हस्ताक्षर केवल वही व्यक्ति करेंगे जिनका उल्लेख 30प्र0मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-32(6) में है अथवा टैक्स इनवाइस को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

संलग्नक

सेल / टैक्स इनवाइस के विवरण की गयी खीर की सूची

क्र.सं.	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	दिन										सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वस्तुओं का कर	इनवाइस की कुल धनराशि
1	2	3										4	5	नाम	कोड	मात्रा / माप	9	10	11
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			

हस्ताक्षर:
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

प्रयोग किये गये फार्म डी के विवरण का निधारितारूप

सेल / टैक्स इनवाइस के विवरण की गयी खरीद की सूची

क्र०स०	विक्रेता व्यापारी का नाम व पता	फार्म डी की संख्या	दिन	सेल / टैक्स इनवाइस संख्या	सेल / टैक्स इनवाइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वस्तु ले गये कर की राशि	इनवाइस व कुल धनराशि
						नाम	कोड	मात्रा / माप			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
1											
2											
3											
4											
5											

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि